न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) महोदय, अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 04/2015

पीठासीन अधिकारी का नाम :– श्रीमती रतन कौर

उनवान

भूमि–धारक

प्रार्थी ....

बनाम

1. देवीसिंह पुत्र बीरमसिंह जाति रावत, ईटभट्टा संचालक निवासी ग्राम भूडोल
2. कम्मा पुत्र कल्ला जाति रावत निवास ग्राम भूडोल
3. केसी पत्नी सुवा जाति रावत निवास ग्राम भूडोल
4. पप्पू वल्द सुवा जाति रावत निवास ग्राम भूडोल
5. श्योजी वल्द हरजी जाति रावत निवास ग्राम भूडोल
6. कमला पत्नी अमरा जाति रावत निवास ग्राम भूडोल
7. ज्ञानी पुत्र अमरा जाति रावत निवास ग्राम भूडोल
8. बीरी पुत्री अमरा जाति रावत निवास ग्राम भूडोल
9. गोमी पत्नी मेवासिंह जाति रावत निवास ग्राम भूडोल
10. गोपालसिंह पुत्र मेवासिंह जाति रावत निवास ग्राम भूडोल
11. वीरुसिंह पुत्र मेवासिंह जाति रावत निवास ग्राम भूडोल
12. प्रभुसिंह पुत्र मेवासिंह जाति रावत निवास ग्राम भूडोल
13. मल्ला पुत्र राजू जाति रावत निवास ग्राम भूडोल
14. लाडू पुत्र राजू जाति रावत निवास ग्राम भूडोल
15. गीतादेवी पत्नी दल्लासिंह जाति रावत निवास ग्राम भूडोल
16. भंवरसिंह पुत्र दल्लासिंह जाति रावत निवास ग्राम भूडोल
17. शंकरसिंह पुत्र दल्लासिंह जाति रावत निवास ग्राम भूडोल
18. तेजूसिंह पुत्र दल्लासिंह जाति रावत निवास ग्राम भूडोल
19. कनका पुत्री दल्लासिंह जाति रावत निवास ग्राम भूडोल
20. भोला पुत्र राजू जाति रावत निवास ग्राम भूडोल

अप्रार्थी......................

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

1. श्री ओम प्रकाश गुर्जर, राजकीय अभिभाषक
2. श्री राजेन्द्र सिहं रावत, अभिभाषक
2. रामसुख चौधरी, अभिभाषक

आदेश

दिनांक :– 25/2/25

प्रार्थी भूमि धारक की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भूडोल–तहसील व जिला अजमेर में स्थित कृषि भूमि मुताबिक रा रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2068–71 के अनुसार निम्न प्रकार से अंकन दर्ज है जो अप्रार्थी की खातेदारी में खाता संख्या 92 खसरा 2545 रकबा 0.22, खसरा 2546 रकबा 0.22, खाता संख्या 41 खसरा 2547 रकबा 0.33, खसरा 2558 रकबा 0.09, खाता संख्या 42 खसरा 2544 रकबा 0.48, किस्म बा–02 किता 5 रकबा 1.34 हैक्ट. वर्णित कृषि भूमि जो बारानी द्वितीय है को अप्रार्थीगण ने बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किए, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए, भूमि धारक से विधिवत स्वीकृति प्राप्त किये बिना, बिना संपरिवर्तन प्रक्रिया अपनाये मौके पर उक्त भूमि पर ईट भट्टा व चिमनी लगाकर बिना प्रदुषण नियंत्रण विभाग से अनुमति लिए स्थापित कर लिया है, एवं कृषि भूमि को उपयोग व उपभोग वाणिज्य प्रयोजनार्थ काम में ले रहे है, जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का भूडोल से दिनांक 12.10.2015 को प्राप्त होने पर यह आवेदन श्रीभान की सेवा में विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत है। अप्रार्थीगण ने विधि विरुद्ध कृत्य कारित कर कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग बदल दिया है जिसका कानूनन उनको फोड़े विधिक अधिकार नहीं है। प्रार्थना–पत्र वर्णित भूमि कृषि भूमि है जिसका उपयोग व उपभोग अप्रार्थी ने मौके पर ईट भट्टा स्थापित कर–वाणिज्य प्रयोजनार्थ काम में लेकर बड़ा लाभ कमा रहा है जिसको ऐसा कृत्य करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है, एवं भूमिधारक यानी राज्य सरकार को भारी नुकसान

सहायक कलक्टर(मु.) अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

रहा है। अप्रार्थी का कृत्य कृषि श्रेणी में नहीं आता है, इस कारण प्रार्थी अप्रार्थी से भारी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है. इस कारण यह आवेदन श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत है। अप्रार्थी सदभायिक कृषक नहीं है उसने कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग मौके पर वाणिज्य प्रयोजनार्थ कर लिया है, इस कारण उसको प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या । में वर्णित भूमि से तुरन्त बेदखल करने हेतु यह आवेदन श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत है। अप्रार्थी का कृत्य कृषि भूमि की श्रेणी में नहीं आता है एवं उसने कृषि जोत अधिनियम के आजापक प्रावधानों की अवहेलना कर दी है. इस कारण प्रार्थी–अपार्थी से विशेष क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार है। अप्रार्थी के इस कृत्य को तुरन्त मौके पर बंद करवाने हेतु यह आवेदन श्रीमान की सेवा में वास्ते वसूली क्षतिपूर्ति एवं बन्द करवाने इंट भट्टा पेश है। अप्रार्थी का कृत्य मौके पर ईंट भट्टा लगाने से प्रदुषण फैल रहा है. एवं प्रदुषण से अडौस–पडौस की कृषि भूमि की उरवरकला पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है, इस कारण अप्रार्थी के ईट भट्टा को तुरन्त बंद करने हेतु यह प्रार्थना–पत्र श्रीमान की सेवा में पेश है। राज्य सरकार–भूमिधारक कोर्ट फीस से मुक्त है। प्रार्थना–पत्र सर्वप्रथम जानकारी में दिनांक 12.10.2015 से होने पर समयावधि में प्रार्थना–पत्र पेश है। प्रार्थना–पत्र को श्रवण करने एवं निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को है। न्यायहित में ऊपर वर्णित कारणों से पार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को पाबन्द फरमायें कि वह मौके पर उसके द्वारा किया जा रहा कृत्य तुरन्त बंद करें एवं नियमानुसार क्षतिपूर्ति–प्रार्थी को अदा करे एवं अप्रार्थी के नाम से दर्ज भूमि को न्यायहित में राजहित में सिवायचक दर्ज करने के आदेश के साथ–साथ मौके से स्थायीरुप से बेदखल करने के आदेश पारित करने की कृपा करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर संबंधित को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए होकर मौखिक अवगत कराया गया की ईट भट्टा 12–13 वर्ष पूर्व संचालित किया जा रहा था वर्तमान में उक्त भट्टा का कोई अस्तित्व नही है तथा उक्त भूमि को कृषि कार्य हेतु तैयार किया जा रहा है।

जिस संबंध में तहसीलदार अजमेर से उक्त प्रकरण मे वर्तमान रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार अजमेर ने अपने पत्रांक 768 दिनांक 07.02.2025 रिपोर्ट व मौका पर्चा पेश किया। मौक पर्चा मे अवगत करवाया की खसरा संख्या 2544 पर लगभग 12–13 वर्ष पूर्व ईट भटटा संचालित किया जा रहा था। वर्तमान में उक्त खसरा पर कोई ईट–भट्टा संचालित नही है तथा कृषि कार्य करने हेतु सुधार किया जा रहा है।

अभीभाषकों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार अजमेर की रिपोर्ट से यह सिद्व होता है कि उक्त खसरो में वर्तमान में कोई ईट भट्टा संचालित नही है, ना ही कोई अकृषि कार्य किया जा रहा है।

तहसीलदार अजमेर ने अपने स्वयं की मौका रिपोर्ट मे ही सिद्व कर दिया है कि उक्त भूमि पर वर्तमान में कोई ईट भट्टा संचालित नही है ना ही कोई अकृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त खसरो पर कृषि कार्य हेतु सुधार किया जा रहा है।

अतः प्रार्थी/भूमि धारक का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग नही होने से खारिज किया जाता है।

यह आज तारीख 25/2/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर की गई ।

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) * अजमेर *

(रतन कौर)
सहायक कलक्टर (मु.)
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner